रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33001/95 REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 25, 1995/फाल्गुन 6, 1916
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 25 , 1995/PHALGUNA 6, 1916

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

सा. का. नि. 82.—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा. का. नि. 837(अ), तारीख 14 नवम्बर, 1985 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) नियम, 1995 है ।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 1985 में, नियम 2 के उपनियम (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) "रसायन परीक्षक" से रसायन परीक्षक या उप-मुख्य रसायनज्ञ या पत्ते रसायनज्ञ या सहायक रसायन परीक्षक, सरकारी अफीम और एल्केलाइड संकर्म, नीमच या, यथास्थिति, गाजीपुर अभिप्रेत है ।"

3. नियम 24 के उपनियम (1) में "रसायन परीक्षक की" शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्दों का लोप किया जाएगा :—

"या ऐसे अन्य व्यक्तियों की, जो इस निमित्त कारखाना मुख्य नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।"

[फा. सं. 664/9/94-ओएिम]

एस. कुमार, अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल नियम दिनांक 14 नवम्बर, 1985 को सा. का.नि. सं. 837(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और बाद में इन्हें दिनांक 26-10-1992 को का. आ. 786(अ) और दिनांक 24-10-1994 को सा. का. नि. सं. 543 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 14th February, 1995

G.S.R. 82.—In exercise of the powers conferred by Section 9, read with Section 76 of the Narcotic Drugs and Phychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby

makes the following rules further to amend the Narotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, published in the Gazette vide G.S.R. 837(E) dated 14th Novemebr, 1985, namely:—

1. (i) These rules may be called the Narcotic Drugs and Phychotropic Substances (Amendment) Rules, 1995.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, in Rule 2. for Sub-rule(c) and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

"(c) "Chemical Examiner" means the Chemical Examiner or Deputy Chief Chemist or Shift Chemist or Assistant Chemical Examiner, Government Opium & Alkaloid Works, Neemuch or, as the case may be, Ghazipur."

3. In rule 24, the following words after the words "Chemical Examiner" shall be omitted:—

"or such other officers as may be authorised in this behalf by the Chief Controller of Factories."

[F. No. 664|9|94-Opium]

S. KUMAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide GSR 837(E) dated 14th November, 1985 and subsequently amended vide S.O. 786(E) dated 26-10-1992 and GSR 543 dated 24-10-1994.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 1995

सा. का. नि. 83.—भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए तारीख 16 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में पृष्ठ 595 से 601 पर भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) (केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड) की तारीख 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 181 में कतिपय प्रारूप विनियम प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी 24 जून, 1994 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां आम जनता को 11 मई, 1994 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और किसी व्यक्ति से, जिनके प्रभावित होने की संभावना थी, कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय बॉयलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 1995 है।

(2) यह सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. इंडियन बॉयलर रैगूलेशन, 1950 (जिन्हें तत्पश्चात् उक्त रैगूलेशन कहा जायेगा) में, रैगूलेशन 187 के स्थान पर, निम्नलिखित रैगूलेशन प्रतिस्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

"187. वाटर ट्यूब बॉयलरों में अक्षतिपूर्तिकृत सुराख—किसी भी अक्षतिपूर्तिकृत सुराख का अधिकतम व्यास 203 मिलीमीटर से अधिक न होते हुए, आकृति 9 बी व 9 सी में दिखाये गये डी से अधिक नहीं होगा।

आकृति 9 बी व 9 सी में दिखाये संकेत निम्नलिखित रूप से परिभाषित होंगे :

पी × "डी"

के = ---------- -----समीकरण 20

1.82एफ × ई

जहां

पी = परिचालन दबाव;

डी = सुराख का अधिकतम स्वीकार्य व्यास (ईलिप्टीकल या ओबराउण्ड सुराखों के लिये, डी दोनों अक्षों के औसत मान के बराबर लिया जायेगा);

"डी" = शैल का बाह्य व्यास;

ई = शैल की वास्तविक मोटाई;

एफ = स्वीकार्य स्ट्रैस;

जब के का मान 1 या उससे अधिक हो, तो अप्रबलिकृत सुराख का अधिकतम माप 51 मिलीमीटर (2 इंच) होना चाहिए।

3. उक्त रैगूलेशन में, रैगूलेशन 271 में, उप रैगूलेशन (ii) में, "तापमान पर" शब्दों के साथ समाप्त, संकेत चिन्ह "एसआर" की व्याख्या के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी प्रविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी :' यदि द्रव्य मानक में एस सी का मान नहीं दिया हुआ और ऐसे द्रव्य भारत में या बाहर बॉयलर में प्रयोग किये जाने जाते है, ऐसे द्रव्यों की स्वीकार्य स्ट्रैस का निम्न मे से छोटा मान लिखा जायेगा

ई टी / 1.5 या एस आर / 1.5

4. उक्त रैगूलेशन में, रैगूलेशन 290 में, उप रैगूलेशन (डी) में "250°" सैंटीग्रेड प्रयोग किया जायेगा" पर समाप्त, संकेत चिन्ह "एस सी की व्याख्या के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पणी प्रविष्ट की जायेगी, अर्थात्—

"टिप्पणी :— यदि द्रव्य मानक में एस सी का मान नहीं दिया हुआ और ऐसे द्रव्य भारत में या बाहर बॉयलर में प्रयोग किये जाने जाते हैं, ऐसे द्रव्यों की स्वीकार्य स्ट्रैस का निम्न में से छोटा मान लिया जायेगा।

ई टी / 1.5 या एस आर / 1.5